



कार्यालय / Office

कार्मिक विभाग, रायपुर मंडल / Deptt. of Personnel, Raipur Division
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे / South East Central Railway
दू.भा. / Tele : 72430 (Rly), 0771-2252290 (DOT) फ़ैक्स / Fax : 72430 (Rly), 0771-2252290 (DOT)

क: E/PB/R/CDR/2012/149

दिनांक 03.10.2024

अधिसूचना सं /NOTIFICATION NO.124/2024

विषय: रायपुर मंडल /दपूमेरे के कार्मिक विभाग में पे मैट्रिक्स लेवल-8 में मुख्य कार्यालय अधीक्षक के पद को भरने के लिए पैनल का गठन।

Sub: Formation of panel for filling up the post of Chief Office Superintendent in Pay Matrix Level-8 of Personnel department of Raipur Division/ SECR.

रायपुर मंडल/ दपूमेरे के कार्मिक विभाग में पे मैट्रिक्स लेवल-8 में मुख्य कार्यालय अधीक्षक के 02 पद को भरने के लिए एक पैनल बनाने का प्रस्ताव है। रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है: / It is proposed to form a panel for filling up of 02 (Two) vacancies of Chief Office Superintendent in Pay Matrix Level-8 in Personnel Department of Raipur Division/SECR. The break-up of vacancies is as under:

Name of the post	Categories			Total	PWBD
Chief Office Superintendent	UR	SC	ST		VH
	01	01	00	02	01

1. कर्मचारियों की पात्रता और सेवा शर्तें: ELIGIBILITY AND SERVICE CONDITIONS OF STAFF:

- 1.1 कर्मचारी जिन्होंने मौजूदा ग्रेड में न्यूनतम एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, वे मुख्य कार्यालय अधीक्षक लेवल- 8 के पद पर पैनल में शामिल होने के लिए पात्र हैं, लेकिन उन्हें मौजूदा ग्रेड अर्थात मुख्य कार्यालय अधीक्षक में दो साल की सेवा पूरी करने के बाद पदोन्नत किया जाएगा।

Staff who have completed minimum one year service in existing grade are eligible for empanelment to the post of Chief Office Superintendent in Level-8 but he will be promoted only after completion of two years service in existing grade i.e. Chief Office Superintendent in Level-7.

- 1.2 मुख्य कार्यालय अधीक्षक की श्रेणी को गैर-चयन पद के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए कर्मचारियों को 1: 1 के अनुपात में बुलाया जाएगा। रिक्ति, निर्धारित बेंचमार्क के साथ वरिष्ठता सह उपयुक्तता से भरी जाएगी। The category of Chief Office Superintendent is classified as Non – selection post, hence staff is to be called in 1:1 ratio. The vacancy is to be filled up by seniority cum suitability with prescribed benchmark.

2. उपयुक्तता हेतु प्रक्रिया / PROCEDURE FOR SUITABILITY:

- 2.1 पिछले तीन वर्षों के सेवा रिकॉर्ड की जांच, एपीएआर की ग्रेडिंग और डीएंडए मंजूरी के आधार पर उपयुक्तता का निष्पत्ति किया जाएगा। / Suitability will be conducted on the basis of scrutiny of service records and grading of APARs for the last three years, D&A clearance.

- 2.2 उम्मीदवारों को तीन वर्षों के एपीएआर में कुल मिलाकर 15 में से 08 अंक हासिल करने होंगे। / The candidates has to secure 08 marks out of 15, as aggregate in three years APARs.

3. विचार क्षेत्र के अधीन कर्मचारी / STAFF UNDER ZONE OF CONSIDERATION:

मुख्य कार्यालय अधीक्षक के रूप में कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारी कार्मिक विभाग में पे मैट्रिक्स लेवल - 8 में मुख्य कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु विचाराधीन हैं। / The following staff working as Chief Office Superintendent in Level-7 is under zone of consideration for promotion to the post of Chief Office Superintendent in pay matrix level-8 in Personnel department.

SN	PF NO.	NAME	Design/Stn	Community	REMARKS
1	39307974516	Jagat Chandra Suresh	Ch OS	SC	Against UR
2	39307972489	Rajkumar	Ch OS	SC	Against SC

पीडब्ल्यूबीडी (वीएच) श्रेणी के लिए एक रिक्ति अधिसूचित की गई है, लेकिन मुख्य कार्यालय अधीक्षक श्रेणी में पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार की अनुपलब्धता के कारण इसे मौजूदा कर्मचारियों द्वारा भरा जा रहा है और पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षण अगले चयन के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। One vacancy has been notified for PwBD (VH) category but due to non-availability of PwBD candidate in Chief Office Superintendent Category the same is being filled by existing employees and reservation for PwBD is being carried forward to next selection.

4. कर्मचारियों को सूचित करना / NOTIFYING TO THE STAFF:

रायपुर मंडल के वाणिज्य विभाग के नियंत्रण अधिकारी /पर्यवेक्षक सभी पात्र कर्मचारियों में अधिसूचना का व्यापक प्रचार करेंगे तथा अधिसूचना को सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जानी चाहिए। इस संबंध में औपचारिकता पूरी करने की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधीनस्थ /पर्यवेक्षक की होगी।

The controlling officer/supervisor shall give wide publicity of notification to all eligible staff of Personnel department of Raipur Division and notification should be displayed at conspicuous place. It should be the responsibility of senior Subordinate/Supervisor to complete the formality in this respect.

5. अभ्यावेदन /आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (यदि कोई हो) / LAST DATE FOR SUBMISSION OF REPRESENTATION/OBJECTION (IF ANY):

मुख्य कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता सूची के विरुद्ध अभ्यावेदन /आपत्ति, यदि कोई हो, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 3 दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें विफल होने पर यह माना जाएगा कि पात्रता सूची के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन नहीं है और तदनुसार कार्मिक विभाग में पे मैट्रिक्स लेवल - 8 में मुख्य कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए संबंधित कर्मचारियों की अंतिम उपयुक्तता के लिए मामले पर कार्रवाई की जाएगी।

Representation/Objections against eligibility list for promotion to the post of Chief Office Superintendent if any may be submitted to this office **within 3 days from the date of issue of this notification**, failing which it shall be presumed that there is no representation against the eligibility list and accordingly case shall be processed for final suitability of the staff concerned for promotion to the post of Chief Office Superintendent in Pay Matrix Level - 8 in Personnel Department.


सहायक कार्मिक अधिकारी
कृते, मंडल कार्मिक अधिकारी (प्र)

प्रतिलिपि/ Copy to :, मुख्य कार्यालय अधीक्षक/प्रशासन एवं नियम, वमकाधि कार्यालय/रायपुर, डीएस/एआईएससी-एसटीआरईए/रायपुर एवं डीएस/एआईओबीसीईए/रायपुर।, Ch OS/Admin& Ruling of Sr DPO Office/R, DS-AISCSTREA/R, DS-AIOBCEA/R.

कृते, मंडल कार्मिक अधिकारी (प्र)